

**न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)**

पीठासीन अधिकारी— डॉ एस.पी.सिंह (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या— 298 / 16

बउनवान

सत्यनारायण आयु 40 वर्ष पुत्र प्रहलाद जाति—मीणा निवासी—सीमल्या  
तहसील—मोंगरोल जिला—बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्गे तहसीलदार, मोंगरोल

(रेस्पोंडेंट)

**अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956**

उपस्थिति :—1. श्री ज्ञानप्रकाश शर्मा, अभिभाषक

(अपीलांट)

2. परोकार सरकार

(रेस्पोंडेंट)

**निर्णय दिनांक— 26.04.2018**



अपीलांट ने जर्गे अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मोंगरोल  
आदेश दिनांक 02.02.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व  
अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ  
न्यायालय ने उसे ग्राम—सीमल्या, तहसील—मोंगरोल की आराजी खसरा नम्बर 609  
रकबा 0.20 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 320 /—रूपये अर्थदण्ड एवं  
90 दिन(तीन माह) के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून  
एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के प्रतिकूल होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ  
न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बिना स्वतंत्र  
साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अपीलांट का अतिक्रमित  
आराजी पर कोई कब्जा नहीं है ना ही अपीलांट की ओर कोई सरकारी तावान राशि  
बकाया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का  
निर्णय दिनांक 02.02.2016 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्गे सम्मन  
तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख  
प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों  
को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व  
जवाबदेही का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित  
आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा  
अपीलांट को हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर

**जिला कलक्टर**  
**बारां (राज०)**

सजायाब किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती बाबत कोई साक्ष्य सबूत, स्वतंत्र गवाहान के बयान एवं पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं घोषित किया जा सकता। विवादित आराजी से अपीलांट ने कब्जा छोड़ रखा है। वर्तमान में उक्त भूमि पड़त सरकार है। अपीलांट भविष्य में उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करने हेतु बचनबद्ध है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 78/15 निर्णय दिनांक 09.03.2015 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉंगरोल द्वारा आदेश दिनांक 02.02.2016 से पारित बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 35/16 में पारित निर्णय दिनांक 2.2.2016 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड़ दें तथा तहसीलदार, मॉंगरोल के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिंग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल द्वारा निर्णय दिनांक 2.2.2016 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉंगरोल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2.2.2016 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 26.4.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर

सुनाया गया।



(डॉ०एस.पी.सिंह)  
जिला कलक्टर, बारां  
जिला कलक्टर  
बारां (राज०)